REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 10 | ISSUE - 12 | SEPTEMBER - 2021

महिला सशक्तिकरण एवं मीडिया

रामदरश सिंह यादव
असिस्टेण्ट प्रोफेसर (समाजशास्त्र विभाग),
बुन्देलखण्ड महाविद्यालय, झाँसी, (उ0प्र0).

'महिला सशक्तिकरण'के विषय में जानने से पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि हम सशक्तिकरण से क्या समझते हैं ? सशक्तिकरण से तात्पर्य किसी व्यक्ति की उस क्षमता से है जिसके कारण उसमें यह योग्यता आ जाती है जिससे वह अपने जीवन से जुड़े सभी निर्णय ले सके। महिला सशक्तिकरण में भी हम उसी क्षमता की बात कर रहे हैं जहाँ महिलाएँ परिवार व समाज के सभी बन्धनों से मुक्त होकर अपने जीवन के सभी निर्णयों की निर्माता स्वयं हों। परिवार व समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। महिला सशक्तिकरण में भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक, सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जाता है।

पंडित जवाहर लाल नेहरू द्वारा कहा गया प्रसिद्ध वाक्य '' लोंगों को जगाने के लिए महिलाओं का जागृत होना जरूरी है। एक बार जब वह अपना कदम उठा लेती है, परिवार आगे बढ़ता है, गाँव आगे बढ़ता है, और राष्ट्र विकास की ओर उन्मुख होता है।'' भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले समाज में उन सभी राक्षसी सोच को मारना जरूरी है जैसे दहेज प्रथा, अशिक्षा, यौन हिंसा, असमानता, भ्रूण हत्या, महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, मानव तस्करी और ऐसे ही दूसरे विषय। लैंगिक भेद–भाव राष्ट्र में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक अन्तर ले आता है जो देश को पीछे की ओर ढकेलता है। भारत के संविधान में उल्लेखित समानता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाना सबसे प्रभावशाली उपाय है इस तरह की बुराईयों को मिटाने के लिए। भारत में महिला सशक्तिकरण की जरूरत इसलिए है कि प्राचीन काल से ही यहाँ लैंगिक विषमता थी और पुरूष प्रधान समाज था। भारतीय समाज में महिलाओं को उनके अपने ही परिवार, समाज द्वारा कई कारणों से दबाया गया तथा उनके साथ कई प्रकार की हिंसा हुई। भारतीय समाज में महिलाओं को सम्मान देने के लिए माँ, बहन, पुत्री, पत्नी के रूप में महिला देवियों को पूजने की परम्परा रही है। 'मनुस्मृति' में यह उल्लेख है कि 'यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता' लेकिन इसका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल महिलाओं को पूजने भर से देश के विकास की जरूरत पूरी हो जायेगी। आज जरूरत है कि देश की आधी आबादी यानि महिलाओं का हर क्षेत्र में सशक्तिकरण किया जाए जो देश के विकास का आधार बनेगीं।

प्राचीन काल से ही जहाँ एक ओर हमारे विभिन्न धर्मग्रन्थ, मत एवं आध्यात्मिक स्रोत नारी को शक्ति एवं पूजनीय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं, तो वहीं एक सत्य यह भी है कि हमारा इतिहास एवं वर्तमान समाज क्रूर

शोषण, आडम्बरपूर्ण भेद भाव, भिन्न–भिन्न नैतिक व अनैतिक बन्धन एवं आर्थिक पराधीनता का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। एक महान राष्ट्र की नीव उसकी व्यवस्था पर निर्भर करती है। कोई भी राष्ट्र तब तक प्रगति नहीं कर सकता है, जब तक उस राष्ट्र की सामाजिक प्रगति न हो। सामाजिक प्रगति के लिए अत्यन्त आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक वर्ग चाहें वह धर्म आधाररित हो अथवा लिंग आधारित हो सबकी उपयुक्त सहभागिता होती है। वर्तमान समय मे विश्व विज्ञान, तकनीकी, नवीन शोध एवं स्वतन्त्र वातावरण के माध्यम से अपने अस्तित्व का परिमार्जन कर रहा है। यही कारण है कि अब महिलाएँ भी अपनी क्षमताओं का विस्तार करती हुई विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। राजनीति, शिक्षा, खेल, सुरक्षा आदि ऐसे बहुत से क्षेत्रों में महिलाएँ पुरूषो के समकक्ष अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं।

यदि हम महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की बात करें तो यह वर्तमान समय की समस्या नहीं है वरन यह प्राचीन काल से ही चली आ रही एक गम्भीर समस्या है। वैदिक काल में स्त्रियों को शिक्षा के समान अवसर मिलते थे। उन्हें प्रत्येक कला में निपुण किया जाता था परन्तु कालान्तर में स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय हो गयी। मुस्लिम काल में महिलाओं के शोषण एवं उन पर विभिन्न प्रकार के क्रूर अत्याचार का आरम्भ हुआ। यह स्थिति शताब्दियों तक बनी रही। धीरे–धीरे समाज में नारी का स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त होने लगा। नारी की शिक्षा पर रोक लगा दी गयी तथा नारी की सामाजिक सहभागिता कम होती गयी। कालान्तर में उस पर होने वाली क्रूरता घरेलू चौखट के अन्दर तक पहुँच गयी है। आज घर के चौखट के अन्दर सिमटी नारी घर के अन्दर भी हिंसा, क्रूरता एवं भेद–भाव के दानव से त्रस्त होने के लिए अभिशप्त है अथवा होती आ रही है।

एक स्त्री जो अशिक्षित, तिरस्कृत एवं रूग्ण जीवन व्यतीत कर रही है वह अपने चारों ओर फैले बीभत्स, क्रूर एवं विभिन्न अत्याचारों से स्वयं को मुक्त करने हेतु छटपटा रही है। स्त्री समाज ने सम्भवतः सभी प्रतिकूल परिस्थितियों को अपनी नियति समझकर सब कुछ स्वीकार कर लिया था। परन्तु अप्रासंगिक परिस्थितियाँ न तो प्रकृति न तो जीवन, और न ही समाज में अपना अस्तित्व अधिक समय तक बनाये रख पाती हैं। समय चक्र परिवर्तित हुआ और भारत में ब्रिटिश शासन लागू हो गया। वीरांगना लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कस्तूरबा गाँधी, महान समाज सुधारक राजाराम मोहन राय, महात्मा गांधी आदि महान विभूतियों ने नारी शक्ति का आह्वान किया। यह एक अभिनव प्रसंग था। हमारी परतन्त्रता ने नारी स्वतन्त्रता के बीज बो दिये, नारी मुख्यधारा में प्रवेश कर रही थी। स्वतन्त्रता संग्राम ने नारी के अन्तर्मन में संघर्ष करने की शक्ति प्रदान की। नारी ने प्रतिकूल परिस्थितियों के समक्ष समर्पण करना नहीं अपितु उसका यथासम्भव प्रतिरोध करना सीखा और यहीं से नारी सशक्तिकरण के अध्याय का प्रारम्भ हुआ।

महिला सशक्तिकरण एवं वर्तमान भारत–

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारतीय महिलाओं ने अपने विकास में काफी प्रगति की है और भारतीय समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। इसके बावजूद भी पुरूष प्रधान समाज की मानसिकता और स्त्री की पूर्व में दलितों जैसी स्थिति ने अभी भी दयनीय स्थिति बरकरार रखी है। यही नहीं मानसिक विकास की वर्तमान अवस्था में महिलाओं के पालन–पोषण में भेद–भाव हो रहा है। कठोर कानून के उपरान्त भी आधुनिक उपकरणों की सहायता से गर्भस्थ शिशु की लिंग पहचान करके कन्या भ्रूण हत्या की जा रही है। दहेज रूपी दानव न जाने रोज कितनी महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। इस तरह की बहुत सी बातें महिला सशक्तिकरण के पक्ष को कमजोर कर रही हैं जिसका प्रभाव राष्ट्र के विकास पर भी पड़ता है। इन सभी बाधक तत्वों के बावजूद महिलाएँ अपना परचम सभी क्षेत्रों में लहरा रही हैं, तभी पुरूष वर्ग महिलाओं को आगे आने के लिए सुअवसर प्रदान कर रहे हैं। समाज के इतने बड़े भाग की उपेक्षा कर भारत प्रगति नहीं कर सकता। हमें कन्धे से कन्धा मिलाकर चलना होगा। अपने विचारों में बदलाव लाना होगा तभी महिलाओं को माँ, पत्नी, बहन और एक बेटी का दर्जा दिलाने में हम सब उनके विश्वास को जीत पायेगें अन्यथा विषय की चर्चा करना निरर्थक साबित होगा। एक माँ को सोचना होगा कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नही, सभी समान हैं, हमें अपनी सोच में बदलाव लाना होगा।

यदि प्रत्येक 10 वर्षो में होने वाली जनगणना के आँकड़ो को आधार बनाया जाये तो वर्ष 2001 की जनगणना में लिंगानुपात प्रति हजार पुरूषों पर 933 था जो वर्ष 2011 की जनगणना में बढ़कर 943 हुआ। 0–6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले अर्थात 2001 की जनगणना में शिशु लिंगानुपात

914 था जो 2011 की जनगणना में बढ़कर 927 हो गया। महिलाओं की साक्षरता दर जो 2001 में 53.67 प्रतिशत थी वह 2011 में बढ़कर 64.60 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गयी। परन्तु फिर भी महिलाओं को दहेज, गर्भपात और यौन उत्पीड़न की आग में झुलसना पड़ रहा है। आखिर पुरूष स्वयं को सर्वोच्च सिद्ध करने में क्यों तुला है।

आजकल युवाओं में एक प्रवृत्ति पनपती जा रही है कि नौकरी मिलने के पश्चात शादी करेंगे लेकिन लड़कियों को अपनी जिन्दगी का फैसला करने का कोई अधिकार नहीं दिया जाता। ऐसे भेदभावपूर्ण व्यवहार की नीव रखने में पिता के साथ माता की संलिप्तता रहती है। यह विडम्बना समाज कहाँ तक सहन करेगा। एक दिन जरूर इस अन्धकारमय रूपी सोच को प्रकाश का सामना करना पड़ेगा और उस दिन समाज उन्नति की राह पर चल पड़ेगा।

इतने शोषण एवं उत्पीड़न के बावजूद महिलाओं ने प्रत्येक क्षेत्र में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 महिलाओं और पुरूषों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में समान अधिकार और अवसर प्रदान करता है। अनुच्छेद 15 महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 सभी नागरिकों को रोजगार का समान अवसर देता है। अनुच्छेद 39 सुरक्षा तथा रोजगार का समान कार्य के लिए समान वेतन की घोषणा करता है। वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित कर महिला सशक्तिकरण की नीति घोषित की गयी। केन्द्र एवं राज्य सरकार की ओर से अनेक महिला विकास कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं जिनमें उनके कल्याण के लिए प्रावधान किये गये हैं। सरकार के द्वारा महिला कल्याण के जो प्रयास किए गये हैं उनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना, कामधेनु योजना, किशोरी बालिका योजना, स्वास्थ्य स्त्री योजना, सैनेट्री मार्ट योजना, अपनी बेटी, अपना धन योजना, पंचधारा योजना आदि योजनाएँ राज्य एवं केन्द्र सरकार द्वारा चलायी जा रही हैं।

भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाने के निर्णय के कारण इस वर्ष से देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक एंव राजनीतिक दृष्टि से अधिक सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ये कल्याणकारी योजनाएँ महिलाओं के प्रति बढ़ रहे दुर्व्यवहार और हिंसा की घटनाओं को कम करने में मदद करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा संसद तथा विधान मण्डलों में महिलाओं के लिए एक–तिहाई सीटों पर आरक्षण प्रदान करने हेतु वर्ष 1998 एवं 1999 में प्रस्तावित विधेयक को पास कराने हेतु सभी राजनीतिक पार्टियों में आम राय बनाने की कोशिश की गयी तथा इसको पास कराने का भरसक प्रयास किया गया। यद्यपि तमाम अड़चनों के कारण यह विधेयक पास नहीं किया जा सका, फिर भी महिलायें पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से अपनी राजनीतिक भूमिका का कहीं न कहीं निर्वाह कर रही है। इस प्रकार देश में महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास में बराबरी की भागीदारी के अवसर प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास किया जाना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण में मीडिया की भूमिका :–

महिलाओ की सामाजिक स्थिति में सुधार को लेकर लम्बे समय से वैश्विक स्तर पर चिन्ता व्यक्त की जा रही हैं और समय–समय पर इसके लिए कदम भी उठाये गये हैं। देश में आजादी के बाद से नीति निर्माताओं ने मुख्यधारा की मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, और समाचारपत्रों से महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने की उम्मीद की। लेकिन इस मीडिया ने यथास्थिति को ही बनाये रखा और महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बहुत सकारात्मक परिणाम आते हुए नहीं दिखे। आज डिजिटल क्रान्ति के युग में नई मीडिया से एक नई उम्मीद बनी है कि यह एक ऐसा प्लेटफार्म है जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार की सम्भावना काफी हद तक की जा रही है।

समकालीन सन्दर्भ में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में विज्ञापनो ने महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में लगातार प्रस्तुत कर नकारात्मकता पैदा करने का काम किया है। विज्ञापनों को देखें तो उपभोक्ताओं को आकर्षित करने के लिए महिलाओं के शरीर का उपयोग किया जा रहा है।

आजादी के 72 वर्षो के बाद आज भी भारत जैसे देश में समय की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत बनी हुई है, महिलाओं का विकास और उनके सशक्तिकरण की। कई ऐसी समस्याएँ जो देश के विकास में बाधक हैं उनका समाधान महिलासशक्तिकरण के बिना असम्भव है। अर्थव्यवस्था और राजनीति हो या शिक्षा और स्वास्थ्य की

गुणवत्ता में सुधार की बात हो, महिलाओं की भूमिका के बिना ये काम सम्भव नही है लेकिन जहाँ लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण महिलाएँ निरक्षर है, उनसे इन सभी भूमिकाओं को निभाने की उम्मीद तभी की जा सकेगी जब उन्हें अपनी इन क्षमताओं एवं अहमियत का पता हो।

संविधान ने महिलाओं को सभी तरह के अधिकार दिये, इन अधिकारों को लागू करने के लिए सरकार ने कानून भी बना दिये। लेकिन इनका लाभ तो तब होगा जब महिलाओं को इनकी जानकारी होगी और यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है मीडिया की भूमिका। मीडिया के बगैर ये काम मुश्किल ही नहीं बल्कि असम्भव है। जनसंचार के विभिन्न माध्यम महिलाओं में जागरूकता लाकर उन्हें अपने अधिकारों एवं भूमिकाओं के बारे में सजग बनाकर उनका सशक्तिकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं लेकिन महिलाओं की वर्तमान स्थिति को देखते हुए कहा जा सकता है कि अभी इस मुद्दे पर काफी कुछ किया जाना बाकी है।

हाँलाकि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में लगातार महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों के प्रसारण हो रहे हैं। प्रिंट मीडिया से लेकर रेडियो और दूरदर्शन इस विषय पर काम करता रहा है। प्राइवेट चैनलों ने भी महिलाओं से सम्बन्धित कार्यक्रमों का प्रसारण आरम्भ किया और इस दिशा में काफी बदलाव हुए भी हैं। लेकिन इन सबके बावजूद आखिर क्या वजह है कि इस क्षेत्र में अब तक कोई सार्थक सफलता नहीं मिली। यहाँ यह विश्लेषण करना अनिवार्य हो जाता है कि आखिर विभिन्न जनसंचार माध्यमों में महिलाओं को किस तरह प्रस्तुत किया जा रहा है और उनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों के विषय–वस्तु किस तरह के हैं।

यदि समाचार पत्रों से लेकर विभिन्न इलेक्ट्रानिक माध्यमों के विज्ञापनों पर नजर डालें तो ऐसे विज्ञापन गिने–चुने ही मिलते हैं जहाँ उसे उपभोग की वस्तु और बहुत ही पारम्परिक रूप में प्रस्तुत नहीं किया जाता है। विज्ञापन कम्पनियाँ औरतों के सशक्तिकरण के लिए विज्ञापन नहीं बनाती बल्कि उनका उद्देश्य अपने सामानों की बिक्री बढ़ाना होता है और विभिन्न जनमाध्यमों को चलाने का काफी खर्च इन विज्ञापनों के माध्यम से आता है। देखा जाय तो महिला विकास और सशक्तिकरण के प्रयासों पर विभिन्न जन माध्यमों के इन विज्ञापनों का बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज हम अपने समाज को महिलाओं के प्रति संवेनदशील बनाने की चाहे जितनी भी बातें कर लें लेकिन सच्चाई तो यह है कि एक बच्चा से लेकर वयस्क तक इन विज्ञापनों के माध्यम से जाने–अनजाने महिलाओं को उपभोग की वस्तु के रूप में ही देखने लगता है। इतना ही नहीं कहीं न कहीं ये विज्ञापन दर्शकों के मस्तिष्क पर ऐसा गहरा असर डालते हैं कि एक लड़की भी जाने–अनजाने अपने आपको उसी रूप में देखना शुरू कर देती है और ये उसके दिमाग में इतना गहरा बैठ जाता है कि फिर उन्हें इनमें कुछ गलत भी नहीं लगता है और वे अपने आपको उसी रूप में आसानी से स्वीकार भी लेती है।

यदि समाचार पत्रों की बात करें तो लगभग सभी अंग्रेजी समाचार पत्रों से लेकर हिन्दी समाचार पत्रों तक का पाठक वर्ग मुख्यतया शिक्षित पुरूष वर्ग होता है। इन पत्रों का मुख्य उद्देश्य समाचारों को लोगों तक पहुँचाना होता है। हालाँकि ये बहुत आसानी से महिला सशक्तिकरण जैसे सामाजिक परिर्वतन करने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। लेकिन ज्यादातर पत्र यथा स्थिति बनाये रखने में काम कर रहे हैं। दुखद स्थिति यह है कि इन पत्रों के तीसरे पन्नों में महिलाओं से सम्बन्धित हिंसक एवं पैशाचिक घटनाएँ खबर जरूर बन जाती हैं। लेकिन तुलना की जाये तो उनके स्थान और विकास की खबरों को कम महत्व दिया जाता है। हिमालय पर चढ़ने और किसी राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जीत हासिल करने जैसे समाचारों को पत्रों में जगह देते हैं लेकिन इन पर विशेष कवरेज बहुत कम ही समाचार–पत्र या चैनल करते हैं ताकि लोगों को यह पता चल पाये कि उस सफलता के पीछे की कहानी क्या है।

कुछ समाचार–पत्रों में महिलाओं के लिए अलग से पन्ने हैं लेकिन जिस तरीके से उनके विकास सम्बन्धी मुद्दों पर लेखन की आवश्यकता है उसकी कमी यहाँ आसानी से देखी जा सकती है। कुछ समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं में यदि इस तरह के कुछ पहल हुए भी हैं तो वे समस्या की गम्भीरता को देखते हुए पर्याप्त नहीं लगते। हाँलाकि पहले के मुकाबले मीडिया उद्योग में महिलाओं की संख्या बढ़ी है और उनके द्वारा भी महिला सशक्तिकरण जैसे विषय पर काम करने की पहल हुई है। लेकिन अधिकतर जगहों पर उनसे उम्मीद की जाती है कि वे फैशन, खान–पान, सौन्दर्य जैसे विषयों तक ही स्वयं को सीमित रखें। महिला विशेष मैगजीन की बात की जाय तो वहाँ भी वैसे ही लेखों व खबरों की संख्या ज्यादा है जो महिलाओं को अपने शारीरिक सौन्दर्य, घरेलू कामों, एवं पारम्परिक भूमिका में ज्यादा प्रस्तुत करता है। जबकि महिलाओं की आँकड़ेवार स्थिति को देखा जाय तो महिला सशक्तिकरण पर एक आन्दोलन की आवश्यकता है। अधिकतर

महिलाएँ तो इन बातों से परिचित भी नहीं हैं कि उनकी स्थिति कितनी दयनीय है। समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाओं के साथ एक समस्या यह भी है कि महिलाओं तक इसकी सीधी पहुँच काफी सीमित है क्योंकि भारत जैसे देश में निरक्षर महिलाओं का प्रतिशत काफी अधिक है।

वर्तमान में शहरों के साथ गाँवों में भी रेडियो एवं टेलीविजन की जितनी व्यापक पहुँच हो गयी है, इनका इस्तेमाल महिलाओं के विकास के लिए बहुत आसानी से किया जा सकता है। हाँलाकि रेडियो व दूरदर्शन काफी समय से लोगों को महिलाओं से सम्बन्धित विषयों पर कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है लेकिन वास्तव में इन कार्यक्रमों का उन पर क्या प्रभाव है और कहाँ चूक हो रही है, कितने लोगों को इनका फायदा पहुँच रहा है, इन सबके विश्लेषण के बाद उनमें परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए व्यापक स्तर पर रिसर्च एंव फीडबैक की आवश्यकता है। गाँवो तक डीटीएच सुविधा को देखते हुए उन्हें सशक्त करने के लिए कार्यक्रमों को महिलाओं तक आसानी से पहुँचाया जा सकता है। 24 घण्टे चल रहे मनोरंजन चैनलों पर महिलाओं को सिर्फ पारम्परिक रूप में न दिखाकर उनकी सशक्त छवि प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उनके लिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण एवं कला कौशल विकसित करने वाले कार्यक्रमों के प्रसारण के साथ स्वरोजगार सम्बन्धी जानकारियाँ उपलब्ध कराने की जरूरत है। सफल महिलाओं के संघर्ष की कहानियों को वृत्तचित्र के रूप में दिखाने का काफी प्रेरणादायक असर हो सकता है। महिलाओं में सारी क्षमताएँ हैं, मीडिया को जरूरत है उसे प्रेरित करके बाहर निकालने की।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए उन्हें सिर्फ साक्षर नहीं बल्कि शिक्षित करना होगा। यदि एक महिला शिक्षित होती है तो एक से कई लोगों को शिक्षित करने की ताकत पैदा होती है। वह अपना अपने परिवार और अपने समाज में प्रेरणा स्रोत बन जाती है। इसके लिए टेलीविजन पर नियमित रूप से कुछ कार्यक्रमों को प्रसारित किये जाने की जरूरत है। रेडियो और टेलीविजन समाज की कुरीतियों, अंधविश्वासों के खिलाफ अभियान चलाकर उन्हें जागरूक कर सकता है। गाँवों एवं कस्बों में महिलाओं की सफलता एवं संघर्ष सम्बन्धी वृत्त चित्र आदि महिलाओं के प्रेरणास्रोत बन सकते है।

एक महिला सशक्त तभी होगी जब वह स्वस्थ्य होगी। एक स्वस्थ्य महिला ही अपने बच्चों एवं परिवार के स्वास्थ्य का ख्याल रख सकती है। स्वास्थ्य सम्बन्धी जागरूकता के लिए रेडियो और टेलीविजन पर कार्यक्रमों को दिखाये जाने की जरूरत है। सरकारी कार्यक्रमों के बारे में भी उन्हें जागरूक बनाना होगा। हाँलाकि रेडियो और दूरदर्शन पर इस तरह के कार्यक्रमों का लगातार प्रसारण होता है। प्राईवेट चैनलों की भी देश के हर कोने में पहुँच को देखते हुए यह अनिवार्य कर देना चाहिए कि कम से कम कुछ नियमित घण्टो का प्रसारण महिलाओं के शिक्षा एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित हो। भारत जैसे देश में पल्स पोलियों अभियान की सफलता यह सुनिश्चित करता है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी यदि हर स्तर पर अभियान चलाया जाये तो परिवर्तन की दर काफी तेज हो जायेगी।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए यह अनिवार्य है कि मीडिया उन्हें वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवसाय कौशलों को सीखने, ऋण लेने आदि के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराये। इस क्षेत्र में सफल महिलाओं के अनुभवों को साक्षात्कार एवं वृत्तचित्रों के माध्यम से दिखाकर दूसरी और महिलाओं को प्रेरित करे। स्वयंसहायता ग्रुप आदि के गठन के बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी देकर लाभ पहुँचाया जा सकता है। जिसका आरम्भिक उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक मदद देना, लघु बचत को बढ़ावा देना और महिलाओं में रोजगार को बढ़ावा देकर आर्थिक रूप से सशक्त करना है।

इन सबके अतिरिक्त महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे महत्वपूर्ण पहल करना होगा, वह है स्त्रियों के प्रति पुरूषों की मानसिकता में बदलाव की पहल। उनकी मानसिकता में बदलाव लाना होगा कि महिलाएँ उनसे कम नहीं है और वे भी उनकी तरह हर प्रकार का काम कर सकती हैं। यहाँ पर जन माध्यमों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। वे ऐसे कार्यक्रमों का प्रसारण करें जों न सिर्फ महिलाओं को सशक्त करने और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए हों बल्कि पुरूषों को भी इनके बारे में जागरूक बनायें कि एक सशक्त महिला की उनकी जिन्दगी में क्या अहमियत है। उनमें भी इस बात की समझ विकसित की जाये कि यदि महिलाएँ पिछड़ी हैं तो उनमें पुरूष प्रधान समाज की सामन्ती सोच का भी दोष है और उनमें बदलाव लाना कितना अनिवार्य है।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए उपरोक्त माध्यमों के अलाँवा पारम्परिक माध्यमों जैसे नुक्कड़ नाटक आदि का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। क्योकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज भी अस्सी प्रतिशत निरक्षर ग्रामीण महिलाओं तक पहुँचने की चुनौती है। जहाँ हमें पारम्परिक जन माध्यमों का इस्तेमाल करना ही

होगा। पारम्परिक माध्यमों की खासियत यह है कि इससे लोग अपने आप को जुड़ा हुआ पाते हैं और अपना प्रतिबिम्ब उसमें देख पाते है।

महिलाओं के लिए इस तरह के कार्यक्रमों को प्रसारित करना होगा जिनमें वे मानसिक रूप से काफी सशक्त हैं। उनमें यह आत्मविश्वास लाना होगा कि कुछ भी काम ऐसा नहीं है जो वे नहीं कर सकती हैं। महिलाओं के सशक्त होने की एक अनिवार्य शर्त यह है कि लिंग भेद समाप्त हो। हर व्यक्ति यह समझे कि लड़का और लड़की दोनो बराबर हैं। सबको यह बताने की जरूरत है कि जों औरत सम्पूर्ण सृष्टि की रचयिता है वह कमजोर नहीं हो सकती है। जरूरत है सोच में बदलाव की। जनमाध्यमों के द्वारा महिलाओं में इस सोच को मजबूत करना होगा कि यदि वे मनोभावों की संकीर्णता से स्वयं को ऊपर उठाकर अपने आपको उत्पादक एवं व्यापक बना लें तो समाज की मुख्य धारा में शामिल होने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मीडिया की जिम्मेदार भूमिका के बिना इस सपने को सच करना असम्भव सा प्रतीत होता है।

सारांश :–

महिला सशक्तिकरण वह प्रक्रिया है जिससे महिलाएँ शक्तिशाली बनती हैं और अपने जीवन से जुड़े सभी फैसले स्वयं ले सकती है। महिला सशक्तिकरण में भौतिक या आध्यात्मिक, शारीरिक या मानसिक सभी स्तर पर महिलाओं में आत्मविश्वास पैदा कर उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा सकता है। भारत में महिला सशक्तिकरण के लिए संविधान एवं सरकारी कानूनों द्वारा कई महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान किये गये हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाएँ चलाई जा रही हैं। किन्तु इन सभी अधिकारों एवं योजनाओं से अनभिज्ञ होने के कारण इसका लाभ अधिकांश महिलाओं को नहीं मिल पा रहा है। ऐसी स्थिति में मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

महिला सशक्तिकरण की बात की जाय तो मीड़िया ने बहुत पहले से इस विषय पर अपना कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। 1920 के दशक में जब रेडियो पहली बार घर के भीतर गया तब उसने सबसे ज्यादा भला घर में रहने वाली महिलाओं का किया था। रेडियो के बाद सिनेमा, और टेलीविजन ने महिला सशक्तिकरण के विचार को और भी बढ़ावा देने का कार्य किया। समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं ने पढ़ी–लिखी महिलाओं को प्रभावित किया। वर्तमान समय में अगर कोई किसी महिला पर जुर्म करता है तो मीडिया उसे प्रमुखता से दिखाता है। इससे अधिकांश लोग ऐसे अपराधो को करने से हिचकते है। मीडिया ने लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के प्रति महिला व पुरूष दोनों का नजरिया सकारात्मक रूप से बदलने का अभूतपूर्व कार्य किया है। मीडिया के कारण आज महिलाएँ अपने अधिकार को समझती हैं, अपना सम्मान करना जानती हैं तथा महिलाओं पर होने वाले जुर्म सामने आ रहे हैं। उन्हें न्याय भी मिल रहा है। मीडिया ने एक तो महिलाओं को कई अहम पद देकर उन्हें सशक्त बनाया वहीं अनेक प्रेरक कहानियों से उनमें आत्मविश्वास भी उत्पन्न किया। आज महिलाएँ सशक्त हैं, आजाद हैं, और निडर हैं तो इसमें मीडिया की भूमिका महती है। मीडिया को चाहिए कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

सन्दर्भ :–

1. कुमार, राधा, स्त्री संघर्ष का इतिहास, 1980–1900, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002
2. सिंह, अजय कुमार, महिला सशक्तिकरण की नयी परिभाषा, योजना, जून 2012
3. जोशी, डॉ0 गोपी, भारत में स्त्री असमानता एक विमर्श, हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन, निदेशालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 2006
4. तिवारी, डॉ0 अंशुमान, समसामयिक निबन्ध, राजेन्द्र पब्लिकेशन, (2015–2016) पृ0– 222–235
5. आहूजा, राम, 2010, भारतीय समाज, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
6. कु0 सीमा रानी, प्रतियोगिता दर्पण, जून 2008
7. अन्सारी, एम0ए0, महिला और मानवाधिकार
8. यादव, डॉ0 उत्तरा, ग्रामीण नारी परिवर्तन की ओर
9. योजना, 2016 जनवरी, पृ0 49
10. योजना, 2017, जनवरी पृ0 30
11. www. Newswriters.in

12. www. Hindikiduniya.com
13. www. Hindidivyakran.com